विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–01/2026
पंजीकरण तिथि–03.01.2026
निर्णय तिथि–16.01.2026

रमेश चन्द्र डालाकोटी
गली नं0–06
लोहरियासाल मल्ला
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 01.12.2026 में कहा गया है कि "I am writing to bring to your kind notice a serious discrepancy in my electricity billing following the installation of a smart meter at my premises. The smart meter was installed on 17 July 2025, and immediately thereafter, I received a bill amounting to ₹2,564 for just one day's consumption, which is highly unreasonable and inconsistent with my regular usage pattern. Since the date of installation, the recorded consumption has shown a sudden and unrealistic increase, resulting in inflated and incorrect bills being generated continuously. This abrupt deviation clearly indicates a possible error in meter reading, data transmission, or system calibration. Despite multiple attempts to seek clarification from UPCL through email and written communication, no satisfactory response has been received so far. This lack of resolution has caused significant inconvenience and financial stress. I, therefore, request your good office to kindly:

   1. Direct the concerned technical team to thoroughly examine the smart meter's accuracy, data recording mechanism, and billing computation.
   2. Rectify the erroneous bills and issue a revised statement reflecting actual consumption.

3. Provide a clear clarification regarding the billing duration for which payments have already been made over the past one and a half years, as the paid period status remains unverified.
4. Confirm the current outstanding bill duration, since even after submission of all supporting documents and evidence, the status remains unclear, and I continue to receive bills dated 24 October 2025 without proper justification.

For your kind perusal, I have enclosed all relevant documents, including copies of the recent bills, meter installation report, and prior correspondence with UPCL. Your prompt intervention in this matter will be deeply appreciated. I sincerely request that a detailed verification and clarification be issued at the earliest to ensure fair and transparent billing. Thank you for your attention and cooperation. I look forward to your favorable and timely response."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 12.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विद्युत संयोजन संख्या–392E221162383 मापक संख्या–42030908 (2.00 KW) का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि सभी बिल रीडिंग के आधार पर सही बने हैं। दिनांक 17.07.2025 को पुराना मापक बदलकर नया स्मार्ट मापक लगा दिया गया है। माह 09/2025 मे दो माह अगस्त तथा सितम्बर का बिल एक साथ बना है, जिस कारण बिल की धनराशि अधिक है, लेकिन बिल सही बना है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 13.01.2026 में कहा गया है कि मैं, रमेश चन्द्र डलकोटी (खाता धारक सुश्री रूपा डलकोटी के, उपभोक्ता संख्या–392E221162383, सीआईएन 41800265280, मीटर संख्या 42030908, अनुबंधित लोड–2 किलोवाट), UPCL सप्लाई कोड एवं UERC नियमों के अनुसार मीटर जॉच एवं बिल सुधार हेतु प्रार्थी हूं। स्मार्ट मीटर 17 जुलाई 2025 को आदानी विक्रेता द्वारा स्थापित किया गया था। स्थापना के पश्चात् बिलिंग में असामान्य वृद्धि दर्शाई गई है (उदाहरणस्वरूप, 04.01.2026 का बिल 1171 यूनिट हेतु ₹ 2352.65, 05.12.2025 का 964 यूनिट हेतु ₹ 2072.21), जो पूर्व औसत (170–180 यूनिट/माह) से मेल नहीं खाता तथा एक दिवस का ₹ 2,564.00 का बिल शामिल है। भुगतान (जैसे 25.02.2025 को ₹ 1372.00 19.01.2025 को ₹ 1255.00) के बावजूद विसंगतियाँ बनी हुई हैं, जबकि 16.01.2026 की सीजीआरएफ सुनवाई पूर्व हैं। इससे दोष की संभावना है, अतः विनियम 4.5 के अंतर्गत जाँच आवश्यक है।

अतः मंच से विशिष्ट अनुरोध है कि 10 दिनों के भीतर स्थल पर मीटर सटीकता परीक्षण (मैं उपस्थित रहूँगा), परीक्षण रिपोर्ट जारी करें। जुलाई 2025 से सभी त्रुटिपूर्ण बिल सुधारें, अधिक भुगतान भविष्य बिलों में समायोजित/वापस करें। भुगतान कालावधि, बकाया (जैसे 24 अक्टूबर 2025 बिल) सत्यापित कर संशोधित विवरणी जारी करें। समाधान तक अस्थायी बिलिंग स्थगित करें। 7 दिनों में संदर्भ संख्या सह पावती प्रदान करें upcl.uk.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 16.01.2026 की तिथि नियत की गयी। विपक्षी उपस्थित जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे परन्तु उनके द्वारा सुनवाई की अगली तिथि/वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई। अतः परिवादी को दूरभाष पर सुना गया।

5. मंच द्वारा उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को मीटर यूनिट (M.U.)के आधार पर बिल भेजे गए हैं जिनमें किसी प्रकार के संशोधन का आदेश यह मंच पारित नहीं कर सकता। परिवादी को मीटर तेज चलने की शंका है तो वह मीटर की शुद्धता जांच हेतु चैक मापक के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर विपक्षी के कार्यालय में आवेदन कर सकता है। चैक मापक फाइनल रिपोर्ट में यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो विपक्षी नियमानुसार समायोजन प्रदान करे।

आदेश

वाद निस्तारित किया जाता है। परिवादी चैक मापक हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करता है तो विभाग तद्नुसार कार्यवाही करे एवं मीटर शुद्धता जांच रिपोर्ट में यदि कोई अंतर पाया जाता है तो नियमानुसार समायोजन प्रदान किया जाये। परिवाद तदनुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 03/2026

Shri/Smt. डी0पी0बोस, V/S **Executive Engineer.. Nainital**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	03.01.2026	आज यह परिवाद प्राप्त हुआ। आदेशित हुआ कि, अवलोकित। दर्ज रजिस्टर हों। विपक्षी / विभाग को दिनांक 12.01.2026 को उत्तर पत्र हेतु नोटिस जारी हों।	12.01.2026
	12/01/26	पत्रावली पेश हुई। अवलोकित। उक्त वाद मे परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि "With reference to the Case enclosed, I wish to state that UPCL has taken cognisance of the anomaly and has rectified the Bill. Accordingly, I would like to request you to kindly close the matter," विपक्षी / विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत के अनुसार उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है। **आदेश** विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफतर हो। 12/01/26 (हिमांशु बहुगुणा) (तिलक राज भाटिया) (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी) सदस्य (न्यायिक)	Disposed off

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 04/2026

Shri/Smt. मै0 इंडस टावर लि0,,   **V/S**   **Executive Engineer.. Haldwani(R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	16.01.2026	आदेश परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी की शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा गलत जोड़े गये लो पावर फैक्टर की राशि को बिल में समायोजित करके बिल को संशोधित कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। हिमांशु बहुगुणा (सदस्य उपभोक्ता) तिलक राज भाटि[illegible] (सदस्य तकनीकी) [illegible] प्रसाद डोभाल (सदस्य न्यायिक)	निस्तारित

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 05/2026

Shri/Smt. मै0 इंडस टावर लि0, **V/S** **Executive Engineer.. Haldwani(R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	16/01/2026	आदेश परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी की शिकायत के आधार पर विपक्षी द्वारा गलत जोड़े गये लो पावर फैक्टर की राशी को बिल में समायोजित कर के बिल को संशोधित कर दिया गया है। अतः परिवादी की शिकायत का समुचित समाधान हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। हिमांशु बहुगुणा (सदस्य उपभोक्ता) तिलक राज भाटिया (सदस्य तकनीकी) विष्णु प्रकाश डोभाल (सदस्य न्यायिक)	निस्तारित

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–06/2026
पंजीकरण तिथि:–03.01.2026
निर्णय की तिथि:– 16.01.2026

मै0 इंडस टावर लि0,
द्वारा बिपिन चन्द्र तिवारी,
नियर इंडियन बैंक ऐश बाग,
कालाढूगी रोड़, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि We have permanent electric connection having account No- 40116953791, 20KWconnected load in the name of Indus Towers limited at location- PANDEY NIWAS, under HALDWANI TOWN Division.

Issued bill for the month of NOV 25, in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the unjustified amount Rs-3493.54/-s

We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. Our load has not exceeded up to that level. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.

Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता का निर्मित बिल माह 11/2025 के अनुसार खपत KWH=4507.81 KWAH=6010.79 है, जिस पर Power Factor (KWH/KVAH)= 0.75 है। नियमानुसार Power Factor 0.85 से कम होने पर Low Power Factor, चार्ज होता है, एवं उपभोक्ता के 11/2025 में रू0 3493.54 पर Low Power Factor चार्ज है।

3. मंच में दिनांक 16.01.2026 को सुनवाई की तिथि पर परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी की ओर से SDO उपस्थित हुए। विपक्षी के तर्क सुने गये।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के बिल के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिल में लगाया गया लो पावर फैक्टर सरचार्ज टैरिफ के अनुसार ही लगाया गया है। अतः परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवादी ने अपनी शिकायत में यह उल्लेख किया है कि विपक्षी द्वारा उसे एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा कोई उत्तर मंच में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। विपक्षी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य मंच में बिंदुवार उत्तर प्रस्तुत करें। इस प्रकरण में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ ऑर्डर दिनांक 11.04.2025 के टैरिफ **RTS-2: Non-Domestic के बिन्दु 3.4 का अवलोकन किया गया जो कि निम्नवत है:– " Copy of MRI Summary Report shall be provided alongwith the Bill. Full MRI Report including load survey report shall be provided on demand and on payment of Rs. 15/ Bill."** परिवादी इस बिंदु के तहत निर्धारित राशि जमा कर एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।

आदेश

परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। परिवादी यदि निर्धारित धनराशि जमा कर एम0आर0आई0 के लिए आवेदन करता है तो विपक्षी उसे एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रदान करें। परिवादी को एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अध्ययन के बाद बिल में कुछ विसंगति दर्शित होती है तो वह पुनः सक्षम अधिकारी/मंच में शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। परिवाद तदनुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर

परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–07/2026
पंजीकरण तिथि:–03.01.2026
निर्णय की तिथि:– 16.01.2026

मै0 इंडस टावर लि0, परिवादी
द्वारा बिपिन चन्द्र तिवारी,
नथुवाखान भीमताल,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:– We have permanent electric connection having account No- 40116959668, 17KWconnected load in the name of Indus Towers limited at location- Nathua khan, under NAINITAL Division.

Issued bill for the month of SEP'25, in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the unjustified amount Rs-6591.38/-

We don't have any motive load connected at premise, our average power factor is always beyond 95%. Our load has not exceeded up to that level. We have multiple times approach to division for correction of wrongly charges PF surcharge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.

Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us on account of mentally harassed to us.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि विद्युत परीक्षण खण्ड हल्द्वानी के कार्यालय द्वारा मापक में प्राप्त रीडिंग (369423 KWH) से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल सही है। मापक के सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः मा० मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित ।।

3. परिवादी द्वारा अपनी आपत्ति में कहा गया है कि Sir kindly consider our below point wise argument.
    1. We have informed that due to concocted KVAH reading being punched in billing system since beginning then a huge gap observed in Sep-25 billing & resultant Low PF surcharge claimed.
    2. As final KWH is 369423KWH, Final KVAH is 376312KVAH PF= 369423/376312=0.98 then how the PF can be low.
    3. Division has suppressed the MRI copy in which cleared the PF status was maintaining >98

    Since we operate our towers from Noida and hence we request you to kindly provide us video conferencing appearing or telephonically hearing and kindly take in record our above points for further hearing of this case.

4. दिनांक 16.01.2026 को मंच में सुनवाई तिथि नियत थी। परिवादी अनुपस्थित रहे जबकि विपक्षी उपखंड अधिकारी स्वयं उपस्थित थे। विपक्षी द्वारा कहा गया कि परिवादी पी0एफ0 की गणना गलत कर रहा है। वह मीटर की संपूर्ण रीडिंग से गणना कर रहा है जबकि यह गणना बिल अवधि में की गई खपत पर ही की जाती है। परिवादी का बीजक सही है तथा पावर फैक्टर सरचार्ज टैरिफ ऑर्डर के अनुसार ही लगाया गया है।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र के साथ संलग्न की गई बिल की प्रति में पावर फैक्टर 0.79 दर्शित हो रही है। अतः बिलों में जोडा गया पावर फैक्टर सरचार्ज सही हैं। इस प्रकरण में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ ऑर्डर दिनांक 11.04.2025 के टैरिफ **RTS-2: Non-Domestic** के बिन्दु 3.4 का अवलोकन किया गया जो कि निम्नवत है:– **" Copy of MRI Summary Report shall be provided alongwith the Bill. Full MRI Report including load survey report shall be provided on demand and on payment of Rs. 15/ Bill."** परिवादी इस बिंदु के तहत निर्धारित राशि जमा कर एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।

आदेश

परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। परिवादी यदि निर्धारित धनराशि जमा कर एम0आर0आई0 के लिए आवेदन करता है तो विपक्षी उसे एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रदान करें। परिवादी को एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अध्ययन के बाद बिल में कुछ विसंगति दर्शित होती है तो वह पुनः सक्षम अधिकारी/मंच में शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। परिवाद तदनुसार

निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–08/2026
पंजीकरण तिथि–05.01.2026
निर्णय तिथि–16.01.2026

नवीन सिंह चमियाल — परिवादी
ग्राम–देवल्ला मल्ला
गौलापार, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र दिनांकित 05.01.2026 में कहा गया है कि " **I am Naveen Singh, Village Devla Malla, Post Kunwarpur -263139. My New Connection Account No. 42501423550 I had a new Smart Meter installed on 01.12.2025, for which I have not received any bill till now. The monthly reading in it is less than 100. Approx (80 unit) If you give me the bill later, then do not charge a higher rate. and give me the monthly bill as soon as possible. (Details:- Meter Type -NEW Connection (2kw), Account No.-42501423550 or Meter Start Date- 01.12.2025)**"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 09.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री नवीन सिंह चमियाल ग्राम–देवल्ला मल्ला, गौलापार का स्मार्ट मापक आधारित बिलिंग संबंधी शिकायत संस्थित है। इस संबंध उपभोक्ता का स्मार्ट मापक आधारित बिल माह 12/2025 निर्मित है, जिसकी प्रति आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 16.01.2026 की तिथि नियत की गयी थी। परिवादी ने सुनवाई से पूर्व दिनांक 15.01.2026 को संतुष्टि पत्र प्रेषित करते हुए लिखा है कि "**I had lodged a complaint against UPCL and you gave me clarification through Email, and now I am Satisfied for your clarification.**"
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

कोरमः— 1—बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या—09/2026
पंजीकरण तिथिः—05.01.2026
निर्णय की तिथिः— 24.01.2026

आशीष सिंह पुत्र दीवान सिंह, परिवादी
हिल्वे रेस्ट, वार्ड नं—03, भवाली रेंज,
जिला—नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता, विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
नैनीताल,

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि मेरे द्वारा दिनांक 05.12.2025 को नए संयोजन के लिए आवेदन किया गया था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर—461051225005 यह है, महोदय कई बार विभाग मैं गया। भीमताल एस0डी0ओ0 जे0ई0 साहब से मिला मुझे जे0ई0 द्वारा सीधे मना कर दिया गया CGRF कोर्ट में जाने के लिए के जे0ई0 साहब ने बोला कुछ भी कर ले कनेक्शन नहीं दूंगा बोला, मेरा बास का हट बना है चलता फिरता रेस्टोरेंट है जिसमें मेरी आजीविका चल रही है, महोदय जे0ई0 साहब द्वारा बहुत गंदा व्यवहार किया गया। रेगुलेशन के अनुसार 15 दिन के अन्दर बिजली कनेक्शन मिल जाता है, महोदय मुझे बिजली विभाग के चक्कर काट—2 कर परेशान हो गया जे0ई0 द्वारा मुझसे कहा गया कि CGRF कोर्ट जा या हाई कोर्ट जा मैं कनेक्शन नहीं दूंगा। अतः महोदय जी से निवेदन है कि विभाग को निर्देशित कर मेरे विद्युत संयोजन सयोजन जुड़वाने का कष्ट करें। प्रार्थीत आपका आभारी रहेगा।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि श्री आशीष सिंह भवाली रेंज, भीमताल का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके कम में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना हैः—
   1. उक्त प्रकरण में उपभोक्ता के परिसर पर जा कर साइट का निरीक्षण किया गया जिसके उपरान्त उक्त स्थान पर एक कच्चा अस्थाई फड़ स्थापित किया गया है।

2. उक्त कच्चा अस्थाई फड़ के भीतर किसी भी प्रकार की वायर फिटिंग नहीं की गयी है। उपभोक्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि आगामी 02 माह के भीतर इसे सही व उचित ढांचे में तैयार कर लिया जायेगा।
3. वर्तमान में उक्त अवस्था के अनुसार स्थाई विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया जा सकता है **परन्तु उपभोक्ता उचित प्रारुप या ढांचा तैयार करने हेतु अस्थाई विद्युत संयोजन दि० 12.01.2026 को निर्गत कर साईट पर मापक स्थापित कर दिया गया है।** को अतः मा० मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।

3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की मूल शिकायत उसे विद्युत संयोजन न मिलने से संबंधित की गई थी। परन्तु विभाग द्वारा परिवादी का अस्थाई विद्युत संयोजन दि० 12.01.2026 को निर्गत कर साईट पर मापक स्थापित कर दिया गया है। तथा परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी/विभाग द्वारा कर दिया गया है। अतः उक्त वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं हैं।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—24.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—24.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 10/2025

Shri/Smt. पूरन सिंह नेगी V/S Executive Engineer..Ramnagr

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	07.01.2026	आज यह परिवाद प्राप्त हुआ। आदेशित हुआ कि, अवलोकित। दर्ज रजिस्टर हों। विपक्षी/विभाग को दिनांक 13.01.2026 को उत्तर पत्र हेतु नोटिस जारी हों।	13.01.2026
	13.01.26	पत्रावली पेश हुई। अवलोकित। उक्त वाद मे परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि "Thank you for your kind cooperation....I case have been solved...so please close tha case." विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है। **आदेश** विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफतर हो। 13/01/26 (हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) (बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)	Disposed off

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम:– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–12/2026
पंजीकरण तिथि:–13.01.2026
निर्णय की तिथि:– 31.01.2026

शाकिर हुसैन पुत्र जमील हुसैन, **परिवादी**
निवासी–ला0नं0–02, आजाद नगर,
बनभूलपुरा हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता, **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
हल्द्वानी (नगर),

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी का उपरोक्त नाम पते पर एक छोटा सा निवास स्थान है जिसमें एक किलोवाट क्षमता का विद्युत लेखान नं–3811 जी ए 8144203 लगा हुवा है। प्रार्थी नियमानुसार पूर्व में विद्युत बिलों का भुगतान करते आया लेकिन प्रार्थी को माह अक्टूबर 2025 में 2704.54/– रुपाया का बिल निर्मित किया गया था लेकिन प्रार्थी को हाल ही में एक बिल दिनाक 20–12–2025 को निर्गत किया गया है जिसमें प्रार्थी को 23,594/– रूपया भुगतान करने को कहा गया है। प्रार्थी अपने आवश्यकीय कार्य से घर से बाहर गया था जिस कारण अक्टूबर का बिल रूपया 2704.54/– का भुगतान विभाग को नही कर सका। 2–3 माह के पश्चात ही इतना भारी भरकम बिल प्रार्थी को दिया गया है जो बिल्कुल गलत एवं अव्यवहारिक है। प्रार्थी का विद्युत कनैक्शन एक किलोवाट का घरेलू कनैक्शन है जिस पर दो या तीन बल्ब ही जलते है इसके अतिरिक्त प्रार्थी का विद्युत का कोई खर्च नहीं है इसके अतिरिक्त प्रार्थी का एक छोटी से चाय की दुकान है जिसमें दो बल्ब एंव गर्मी में एक पंखा चलता है। प्रार्थी एक निर्धन व्यक्ति है आर उक्त भारी बिल को जमा करने में असमर्थ है। अतः सादर निवेदन है कि प्रार्थी का उपरोक्त बिल को सुधार करते हुये वास्तविक बिल/सही बिल/निर्गत करने की कृपा कर दी जाय ताकि प्रार्थी विद्युत बिल का भुगतान कर सके।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 22.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री शाकिर हुसैन संयोजन सं० **381TAC2062490** (उसी नाम का उपभोक्ता द्वारा दिनांक 30.03.2024 को रसीद

सं0 **18/075804** से रू0 20000.00 द्वारा अपना बिल राशि जमा की गयी परन्तु त्रुटिवश शिकायतकर्ता (शाकिर हुसैन) के सयोजन सं० **381TGA8144209** खाते में क्रेडिट हुआ (लेजर की प्रति संलग्न)। उप खण्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 13.11.2025 को उपरोक्त त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट को सही करते हुए शिकायतकर्ता के खाते को रू0 20000.00 धनराशि से डेविड कर वास्तविक जमाकर्ता (शाकिर हुसैन संयोज सं० **381TAC2062490**) के खाते को केडिट किया गया अतएव वर्तमान में शिकायतकर्ता का बीजक अवशेष रू0 23594.00 है।

3. विपक्षी के उत्तर पत्र की प्रति परिवादी को भेजकर दिनांक 29.01.2026 तक आपत्ति/ संतुष्टि पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया परंतु परिवादी ने कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की।
4. न्यायहित में दिनांक 31.01.2026 को उभय पक्षों की मंच में सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। परिवादी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। विपक्ष उपस्थित। विपक्षी द्वारा बताया गया कि एक अन्य उपभोक्ता शाकिर हुसैन पुत्र जमीर हुसैन ने विद्युत बिल भुगतान की रसीद संख्या 18/075804 (दिनांकित 30.03.2024) उपखंड कार्यालय में प्रस्तुत की तभी वास्तविक जमाकर्ता के खाते में इसे जोड़ा गया।
5. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने के बाद विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पर आपत्ति/संतुष्टि प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किए गए परंतु परिवादी ने ना तो कोई आपत्ति प्रस्तुत की, ना ही सुनवाई में उपस्थित हुए और ना ही बीस हजार रूपये भुगतान के संबंध में कोई साक्ष्य मंच में प्रस्तुत किये। अतः विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या से यह मंच पूरी तरह संतुष्ट है तथा वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—31.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—31.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–171/2025
पंजीकरण तिथि–01.12.2025
निर्णय तिथि–16.01.2026

विनोद जोशी
चैम्बर नं0–06
सिविल न्यायालय, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 29.11.2025 में कहा गया है कि प्रार्थी के घर पर लगा विद्युत संयोजन जिसका संयोजन संख्या–40111923959 है, उक्त विद्युत संयोजन पर पूर्व के समस्त देयक प्रार्थी द्वारा ससमय जमा कराये गये है, परन्तु विगत माह पूर्व अचानक प्रार्थी के घर का बिल बहुत अधिक आ गया है जिसको सही कराया जाना है। प्रार्थी सक्षम स्तर से कई बार प्रार्थना कर चुका है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। महोदय उक्त कनैक्शन काटे जाने को कहा जा रहा है। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि प्रार्थी के विद्युत संयोजन संख्या–40111923959 का विद्युत बिल सही कराये जाने की कृपा करे। साथ ही कनैक्शन न काटें जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 10.12.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–392K216035006 (विद्युत भार 4 kw) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता का खराब मापक दिनांक 11.08.2024 को बदला गया। मापक बदलने के बाद भी IDF से बिल प्रेषित किए गए हैं। वर्तमान में नए मापक से बिलिंग प्रारम्भ हो गयी है। माह 08/2025 के बाद बिलिंग नहीं हुयी है। रिषिगा मीटर रीडर के सुपरवाइजर को मापक चैक कर सही रीडिंग उपलब्ध करवाने को कहा गया है रीडिंग प्राप्त होते ही बिल को चैक कर माननीय फोरम को स्थिति से अवगत

करा दिया जायेगा। माननीय फोरम से निवेदन है कि उक्त वाद में तिथि विस्तार देने की कृपा करें।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 20.12.2025 में पूर्व में प्रेषित पत्र (दिनांकित 10.12.2025) की कथनों की पुनरावृति की गयी है। साथ ही मंच को यह भी अवगत कराया गया है कि रिषिगा मीटर रीडर के सुपरवाइजर द्वारा बताया गया है कि उक्त मापक खराब दशा में है रीडिंग नहीं दिखा रहा है। मापक की रीडिंग की सही जांच के लिये एक सप्ताह का समय प्रदान करने का कष्ट करें।

4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 12.01.2026 में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने भवन पर लगे विद्युत संयोजन के बिल को सही कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र माननीय मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। परन्तु आज तक बिल को सही नहीं कराया गया था। प्रार्थी के मीटर बिल सही कराए जाने के उपरान्त लगाए जाने हेतु संतुष्ट है अन्यथा पहले बिल से संबंधित जो भी देयक है उसको सही कराना आवश्यक है।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 12.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-392K216035006 (विद्युत भार 4 kw) का स्थलीय निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि मापक खराब है इसलिए प्रथम खराब मापक कोबदलकर ही उपभोक्ता की खपत की जांच की जा सकती है। खराब मापक को बदलने हेतु उपभोक्ता को भी दूरभाष पर बताया गया है।

6. मचं द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 16.01.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। परिवादी एवं विपक्षी दोनों के द्वारा बताया गया कि वर्तमान मीटर खराब दशा में है तथा उसका बदला जाना जरूरी है।

7. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि 26.07.2025 तक परिवादी ने समस्त बीजकों का भुगतान किया है तथा इस तिथि तक बिल का कोई विवाद भी नहीं है। परिवादी को मार्च 2024 से IDF के बिल भेजे जा रहे थे तथा खराब मापक भी बदला गया। वह मापक भी वर्तमान में IDF चल रहा है। अतः परिवादी का मापक तत्काल बदलकर जुलाई 2025 के बाद से मीटर बदले जाने की तिथि तक का बीजक पूर्व के IDF औसत आधार पर ही जारी किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है किपरिवादी का खराब मापक बदलकर जुलाई 2025 के बीजक की तिथि के बाद से मीटर बदले जाने की तिथि तक का बीजक पूर्व औसत (132 यूनिट प्रतिमाह) के आधार पर जारी करे, जिस पर कोईविलम्ब भुगतान सरचार्ज देय नहीं होगा। परिवादी संशोधित बीजक प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करे। विपक्षी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर

विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–174/2025
पंजीकरण तिथि:–04.12.2025
निर्णय की तिथि:– 16.01.2026

मै0 इंडस टावर लि0,
द्वारा बिपिन चन्द्र तिवारी/विकास खत्री,
नियर अशोक विहार फेज–।।,
आर0टी0ओ0 रोड़ जयदेवपुर हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल,

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि We are aggrieved as unlawfully our power supply disconnection has been done by Executive Engg EDD Haldwani (Rural) UPCL on 30-Nov-2025 on public holiday. We want to file the complaint before your kind level Forum in the following manners.
   1. That we have permanent electric service connection, 22 KW baring Account ID-41700425760 under Executive Engineer EDD Haldwani Rural UPCL & we are paying energy bills regularly. Our communication address is Indus Towers Ltd, Okaya Centre, Tower-1 2nd floor, B-5, Sector-62 Noida Gautam Budh Nagar 201301, UP
   2. That Sep-25 energy bill 31-Aug-25 to 30-Sep-25 in which concocted KVAH reading was entered in billing system and unlawfully Rs-7139/- was claimed on account of Low Power Factor Surcharge.
   3. That our PF is over 98 as no motive load at our premise. In the month of Sep-25 Rs-7139/- has been debited on account of LPF due to factious reading was entered in billing is unjustified.
   4. That so many times we have appeared in the office of Executive Engineer and on 17-Nov-25 we sent an E mail to concern Executive Engineer for correction of bill but no response is received as on date.

5. That we had submitted the grievance at CGRF Kumaon Zone on 28-Nov-2025 but our power supply was unlawfully disconnected on 30-Nov-25 on public holiday ie. Sunday by the concern Executive engineer is totally unjustified. Even he is aware that on public holiday there is no possibility to made the payment on public holiday as offices are closed despite it he made unlawfully disconnection of supply and due to such disconnection we have to suffer huge financial loss.
6. That our mobile network was damaged due to power unavailability at evening time then we have telephonic requested to Executive Engineer Haldwani Rural, we also apprise to CE Kumaon Zone about such arbitrarily working & unlawfully disconnection & requested to restoration of supply and provide us fresh correct bill on next day i.e. Monday on 01-Dec-25 but none of them had consider our request.
7. That on 01-Dec-2025 we have paid entire bill amount including unlawfully claimed LPF charges Rs-7139/-in compulsion then power supply was reconnected by the concern.
8. That the division was known that offices are closed on public holiday. Even after 5.00PM mostly finance relate activity closed hence they had selected this time and day intentionally to suffer a huge financial loss to us.
9. That after disconnection of supply the concern should be affix a notice at premise which not done by him it is totally violation rule and clear that they have made intentional disconnection. First of all factious reading being entered in billing to unlawfully increase the revenue and after that correction is not being made in bill even so many times pursued at division and unlawfully supply are being disconnecting. At the time of reconnection, the ground staff of the UPCL is also annoying to us in different nature.

Hence the wrongly claimed LPF along with LPSC need to be refund. We suffered huge financial loss approx. 50K due to such illegal disconnection need to be recover from the concern & give us a credit in energy bill along with compensation as we harnessed.

Necessary instructions need to be release to concern to stop such unlawfully disconnection in future. 7 working days time need to provide after bill correction for the payment. Despite it disconnections is required then it should be done in working days and before 1.00PM & duly notice was to be served after disconnection.

Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice.

2. परिवादी द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांक 12.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–396V609154086, का बिल संशोधन कर दिया गया है। माननीय फोरम के समक्ष लेजर की छायाप्रति प्रस्तुत है।
3. विपक्षी के उत्तर पत्र प्रति मंच द्वारा परिवादी को ईमेल/पत्र द्वारा दिनांक 12.01.2026 को प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र के लिए प्रेषित की गई एवं सुनवाई/बहस हेतु दिनांक 16.01.2026 को प्रस्तुत होने के लिए अवसर प्रदान किया गया।
4. मंच में दिनांक 16.01.2029 की सुनवाई की तिथि पर परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी की ओर से विभागीय एस0डी0ओ0 उपस्थित रहे। विपक्षी के तर्क सुने गये।

5. मंच द्वारा संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के बिल के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिल में लगाया गया लो पावर फैक्टर सरचार्ज, टैरिफ के अनुसार ही लगाया गया है। अतः परिवादी को इस उपलक्ष्य में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। परिवादी की शिकायत की उसकी बिल विसंगति की शिकायत विभाग के पास लंबित होने के बावजूद भी उसकी आपूर्ति बिना किसी नोटिस छुट्टी के दिन बाधित कर दी गई। विभागीय अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल उल्लेखित है कि यदि समयानुसार बिल की अदायगी नहीं होती है तो विद्युत आपूर्ति बाधित की जा सकती है। क्योंकि बिल नियमानुसार ही बन रहे हैं अतः इसमें कोई सुधार संभव नहीं था यह परिवादी को बता दिया गया था। अतः विद्युत विच्छेदन नियमानुसार ही किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर स्पष्ट है की परिवादी का बीजक नियमानुसार ही बना है। अतः वाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 175/2025

Shri/Smt. मै0 इंडस टावर लि0, **V/S** **Executive Engineer.. Haldwani(R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	16/01/26	आदेश परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी की शिकायत के आधार पर विपक्षी द्वारा जोड़े गये लो० पावर फैक्टर की राशी को बिल में समायोजित कर के बिल को संशोधित कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समुचित समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। हिमांशु बहुगुणा (सदस्य अभियंता) तिलक राज भाटिया (सदस्य तकनीकी) विपुल प्रसाद डाभाल (सदस्य न्यायिक)	निस्तारित

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–178/2025
पंजीकरण तिथिः–12.12.2025
निर्णय की तिथिः– 30.01.2026

प्रबन्धक सोयाबीन परियोजना, परिवादी
मै0सोयाबीन एण्ड़ वनस्पति
इण्डस्ट्रीज काम्पलैक्स,हल्दूचौड़,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि उनके संस्थान की प्रतिभूति धनराशि रू0 16,85,676/– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी नैनीताल में जमा है, जिस सम्बन्ध में 2019 से पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि संस्थान के विद्युत बिलों से समायोजित किया जायें। इस सम्बन्ध में कई बार मौखिक एंव लिखित रूप से अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र को अवगत कराया जा चुका हैं, परन्तु आज दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न पत्रों छाया प्रति।
2. दिनांक 26.12.2025 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। सुनवाई में विपक्षी ग्रामीण खंड के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि शिकायत के निस्तारण हेतु नगर खंड से विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है अतः समय विस्तार की आवश्यकता है।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में दिनांकित 17.01.2026 कहा गया है कि शिकायतकर्ता प्रबंधक सोयाबीन परियोजना इंडस्ट्रीज द्वारा जमानत धनराशी से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज

की थी। अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड (नगर) द्वारा अपनी आख्या में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिभूति धनराशि Rs.1685676.00 जोकि उनके खंड में जमा किये गये थे, जिसकी प्रविष्टि बिल में नहीं हो पाई है। अतः उपभोक्ता की प्रतिभूति धनराशि Rs.1685676.00 को बिल में समायोजित कर दिया गया है। (आख्या के साथ कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 03.01.2026 की प्रति भी संलग्न की गयी है।)

4. परिवादी ने विपक्षी के उत्तर पत्र पर आंशिक रूप से सहमति जताते हुए मंच में अपनी आख्या प्रस्तुत कर कहा है कि:— "सोयाबीन परियोजना हल्दूचौड़ द्वारा विद्युत विभाग में रू0 16,85,676/— की जमानत धनराशि विधिवत् रूप से जमा कराई गयी थी, जो लम्बे समय से विद्युत विभाग के अभिलेखों में प्रदर्शित नहीं की जा रही थी। उक्त विषयक शिकायत हमारे द्वारा आपके माननीय मन्च में प्रस्तुत की गयी, जिस पर आपके द्वारा पारित आदेश क अनुपालन में सम्बन्धित जमा जमानत धनराशि को विभागीय अभिलेखों में जोड़े जाने क आदेश विद्युत विभाग द्वारा दिये गये है। इस कार्यवाही से हम पूर्णतया सन्तुष्ट है तथा इस बिन्दु पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही सादर निवेदन है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, के प्रचलित विद्युत आपूर्ति नियमों/शर्तो क अनुसार उपभोक्ता द्वारा जमा जमानत धनराशि पर जमा तिथि से समायोजन अथवा वापसी की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होता है। चूंकि संस्थान की जमा जमानत धनराशि विगत लम्बे समय से विद्युत विभाग के पास जमा रही है। अतः कृपया उक्त अवधि का देय ब्याज प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश पारित किये जाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, के नियमों के अन्तर्गत जमा जमानत धनराशि को उपभोक्ता के आगामी विद्युत बिलों में समायोजित किये जाने का भी निवेदन है जिससे विभागीय एंव उपभोक्ता हित में प्रकरण का समुचित एंव विधिसम्मत निस्तारण हो सके। कृपया उक्त तथ्यों एंव सन्तुष्टि के दृष्टिगत आवश्यक एंव उपर्युक्त आदेश पारित करने का कष्ट करें।"

5. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या **(KNO-390K000007628)** के विद्युत भार 100 के0वी0ए0 के सापेक्ष जमा प्रतिभूति धनराशि रू0 1685676.00(सोलह लाख पिच्चासी हजार छः सौ छिहतर) को विद्युत बिलों में प्रविष्टि के आदेश पारित कर शिकायत का निवारण कर दिया गया है, परंतु प्रतिभूति राशि पर मिलने वाले ब्याज के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। मंच के मत में परिवादी की प्रतिभूति राशि पर विभागीय नियमानुसार एवं समय–समय पर जारी कार्यालय आदेशों के अनुसार उपभोक्ता अपनी जमा जमानत राशि पर ब्याज पाने का अधिकारी है।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी की प्रतिभूति राशि पर समय–समय पर जारी विभागीय नियमों/आदेशों के आधार पर प्रतिबर्ष मिलने वाली ब्याज की राशि का समायोजन भी परिवादी के बीजक में करें। परिवाद तदनुसार निस्तरित।

विपक्षी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—30.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।
दिनांकः—30.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–179 / 2025
पंजीकरण तिथि:–15.12.2025
निर्णय की तिथि:– 16.01.2026

राम सिंह गुसाईं, परिवादी
सचिव आर0डब्ल्यू0ए0 कैलाश विहार हांडीबंदी,
मल्लीताल नैनीताल,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत मे कहा गया है कि This mail is to formally bring to your attention a severe and persistent issue concerning the delay in obtaining a new electricity connection for our residential colony, Kailash Vihar. A formal application for the new connection, along with all requisite documents, was submitted to the SDO Electricity Distribution Office, Nainital, approximately four months ago. Despite the passage of four months, no progress has been made on the application, and the connection has not been sanctioned.

I have personally visited the SDO Electricity Distribution Office, Nainital, multiple times and raised the concern with the Junior Engineer (J.E. Electrical). Unfortunately, these efforts have resulted in no resolution or explanation for the delay.

In light of the above, I earnestly request the Consumer Grievances Redressal Forum to immediately intervene in this matter. We seek your direction to the concerned office to

either expedite the process sanctioning of the new electricity connection or else state any specific shortcomings in our application so that they may be rectified. Your timely action in redressing this grievance is highly anticipated and appreciated.

2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांक 26.12.2025 में कहा गया है कि उक्त शिकायत के कम में मा० मंच को निम्न विन्दुओं से अवगत कराना है :-
    1. उक्त सोसाइटी / कॉलोनी में पूर्व से ही एक संयोजन (597A330070818) वेल्फेयर एसोसियेशन के नाम से है जो विद्युत विल के बकाया होने के कारण अस्थाई रुप से काटा गया है। उक्त संयोजन संख्या 597A330070818 पर रु० 40,950.00 की धनराशि शेष है।
    2. संयोजन संख्या 597A330070818 का प्रयोग वेल्फेयर एसोसियेशन द्वारा परिसर / कॉलोनी की इन्टर्नल स्ट्रीट लाइट तथा वेल्फेयर एसोसियेशन के अन्य कार्यो को लिये किया जाता था।
    3. जिसके उपरान्त वेल्फेयर एसोसियेशन के परिसर / कालोनी में निवास कर रहे श्री राम सिंह गुसाई, हांडी वांडी, मल्लीताल, नैनीताल द्वारा नये संयोजन हेतु आवेदन किया गया है जिसकी पंजीकरण सख्या 4632910250002 है।
    4. उक्त परिसर पर लगे संयोजन संख्या 597A330070818 में रु0 40,950.00 की धनराशि का बकाया होने के कारण पंजीकरण संख्या 4632910250002 को दि० 05.12.2025 को निरस्त किया गया है।

    अतः मा० मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।

3. परिवादी द्वारा दिनांकित 07.01.2026 को अपनी आपत्ति पत्र में कहा गया है कि मैं (रामसिंह गुसाई) सचिव आवासीय सोसाईटी कैलाश विहार हांडी-वांडी मल्लीताल नैनीताल द्वारा विपक्ष / विभाग द्वारा विद्युत उपभोक्ता फोरम के समक्ष दिनांक 23 / 12 / 2025 को प्रस्तुत उत्तर से मैं असमत् हूँ। मैं निम्नवत् विंदुओं से अपने विचार फोरम के समक्ष रखता हूँ।
    1. वर्तमान समय में, हांड़ी-वांड़ी परिसर में दो आवासीय सोसाईटी है।
    2. मैं, अवर अभियंता / खण्ड अधिकारी विद्युत को नये कनेक्शन के लिए व दो सोसाईटी के संबंध में 2-3 बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर वास्तविक रूप से अवगत करा चुका था।
    3. विभाग द्वारा भी वास्तविक स्थिति का स्थलीय निरीक्षण के लाईन मैंन (श्री नेगी) को दो बार भेजा गया, उनको भी हम ने यथास्थिति से अवगत करवाया तथा नये कनेक्शन हेतु विद्युत पोल आदि का निरीक्षण भी करवाया।
    4. विभाग का पूर्व सोसाईटी पर विद्युत बिल की लगभग 40 हजार धनराशि देय है। जिसकी वसूली विभाग इतने वर्षों से नहीं कर पा रहा है, और अपनी गलती का दोष नयी सोसाईटी को विद्युत कनेक्शन न देकर कर रहा है जो न्याय संगत नहीं है। जबकि विद्युत कनेक्शन उस विल्डिंग में न लगकर अन्य विल्डिंग में लगना है।
    5. वर्तमान में हमारी सोसाईटी नया विद्युत कनेक्शन का आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया है। जिसकी जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवायी गई थी।
    6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश में "विद्युत कनेक्शन" को नागरिक मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा है। विद्युत कनेक्शन न देकर विभाग के अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की जा रही है।

महोदय, विभाग अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे विद्युत कनेक्शन को निरस्त कर व माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना कर अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है।

अतः आपसे निम्न निवेदन है कि, उक्त बिंदुओ पर सहनभूतिपूर्वक विचारोपरात आप हमारी सोसाईटी को नया विद्युत कनेक्शन देने का आदेश पारित कर हमारे साथ न्याय करने की कृपा करेंगें। इसके लिए मैं और सोसाईटी सदा आपका कृतज्ञ रहेंगें।

4. मंच द्वारा सनवाई के लिए 16.01.2026 की तिथि नियत की गई, पक्षकार उपस्थित रहे। सुनवाई में यह तथ्य सामने आया कि परिसर पर पूर्व में पिछली सोसायटी पर बकाया था जिसका भुगतान नहीं किया गया है। वहां के निवासियों ने नई सोसायटी गठित कर उसके कार्यालय में विद्युत उपयोग हेतु संयोजन का आवेदन किया है।

5. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा जिस परिसर पर विद्युत संयोजन की मांग की गई है उसका पूर्व बकाया भुगतान किये बिना संयोजन जारी करने का आदेश यह मंच पारित नहीं कर सकता। बकाया भुगतान के बाद ही संयोजन ~~और~~ अवमुक्त किया जा सकता है। अतः वाद खारिज के जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–180/2025
पंजीकरण तिथि–19.12.2025
निर्णय तिथि–16.01.2026

मो0 अनिस
पुत्र मो० इसहाक
निवासी बड़ी रोड,
वार्ड नं–33
निकट बडी मस्जिद
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम व पते (मो० अनिस पुत्र मो० इसहाक, निवसी बड़ी रोड़, वार्ड नं–33, निकट बडी मस्जिद हल्द्वानी, जिला–नैनीताल) पर एक छोटा सा आवास है। जिसके नाम का विद्युत कनैक्शन संख्या–381टीएमडी8126967 है। प्रार्थी का सीमित परिवार मात्र है, छोटे–छोटे कमरे भवन में स्थित है। प्रार्थी के घर में मात्र दो–तीन बल्ब जलते है। तथा गर्मी में टेबल पंखा जलता है। प्रार्थी को विद्युत विभाग उपखण्ड शहरी हल्द्वानी द्वारा बिना विद्युत यूनिट का भारी भरकम विद्युत बिल रुपया 84439.00 का निर्गत किया गया है। जो बिल्कुल गलत एवं अव्यवहारिक है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में रुपया 30,000.00 विद्युत विभाग में जमा भी कर दिया गया है। लेकिन विद्युत विभाग के संबंधित लाइनमैन एवं कर्मचारी अधिकारी प्रार्थी की परेशानी को नहीं समझ रहे है। जिससे प्रार्थी एवं उसका परिवार अवसाद की स्थिति में आ चुका है। प्रार्थी एक गरीब मजदूर व्यक्ति है। जिसका बहुत कम विद्युत खर्चा है। प्रार्थी द्वारा मीटर की जांच हेतु विभाग को कहा गया है लेकिन विद्युत विभाग द्वारा कोई सुनवाई न कर उक्त भारी भरकम विद्युत बिल जमा करने को मजबूर किया जा रहा है। जिसे जमा करने में प्रार्थी पूर्ण रूप से असमर्थ है। विभाग

द्वारा उसका विद्युत कनैक्शन काटने की भी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। और प्रार्थी के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उसके विद्युत विभाग द्वारा निर्गत बिल को रदद कर दिया जाए तथा सही यूनिट के आधार पर विद्युत बिल निर्गत करते हुए उसके विद्युत उपभोग में विद्युत विभाग कोई व्यवधान न डाले जाने बावत आदेश पारित किया जाना आवश्यक है पारित कर दिया जाय।

2. विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.12.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता को माह 11/2023 से माह 03/2025 तक शून्य रीडिंग के बिल प्रेषित किये गये थे। माह 04/2025 में उनका बिल संशोधित कर वास्तविक रीडिंग 16243 KWH के आधार पर प्रेषित किया गया। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि उपभोक्ता द्वारा माह 02/2019 में विद्युत संयोजन निर्गत होने के पश्चात वर्तमान तक केवल एक बार माह 03/2025 में विद्युत बिल का भुगतान किया गया है।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बिल हिस्ट्री पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि लंबे समय से शून्य खपत यूनिट के बिल बनाए जाते रहे हैं तथा अप्रैल 2025 में अचानक 10521 यूनिट खपत का बिल दे दिया गया। स्पष्ट है कि बिल मीटर रीडर ने मनमाने तरीके से बनाये हैं।

उक्त के क्रम में मंच द्वारा, विपक्षी को आदेशित किया कि फिलहाल परिवादी से ₹ 10000.00 (दस हजार) लेकर उसका संयोजन पुनः संयोजित करें तथा वाद के निस्तारण तक संयोजन विच्छेदित न करे। साथ ही विपक्षी दिनांक 10.01.2026 तक परिवादी का विद्युत आपूर्ति स्थापित करने की तिथि 16.02.2019 से वर्तमान तक का बीजक मासिक औसत आधार पर समय–समय पर लागू टैरिफ दरों के अनुसार संशोधित करे तथा मंच में 10.01.2026 तक प्रस्तुत करें।

4. विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 09.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल समय–समय पर लागू विद्युत दरों के आधार पर माह 07/2022 से संशोधित कर दिया गया है। माह 07/2022 से पूर्व मापक की वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल संशोधित किए गए है। उपभोक्ता की संशोधित विद्युत बिल धनराशि रुपया 73108.00 है। आपको यह भी अवगत कराना है कि आदेश के अनुपालन में उपभोक्ता द्वारा दिनांक 27.12.2025 को धनराशि रुपया 10,000.00 का भुगतान करने के पश्चात संयोजन को पुनः संयोजित कर दिया गया है।

5 मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 16.01.2026 की तिथि नियत की गयी। पक्षकार भौतिक रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। पक्षकारों को सुना गया। विपक्षी द्वारा मंच की ओर से दिनांक 26.12.2025 को दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया।

6 मंच ने पक्षकारों की सुनवाई के बाद पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया। मंच के मत में परिवादी का बीजक दिनांक 26.12.2025 को परिवादी को दिए गए निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का बीजक संयोजन जारी करने की तिथि 16.02.2019 से वर्तमान तक की गयी विद्युत खपत की मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय–समय पर लागू टैरिफ दरों के आधार पर संशोधित करे। उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा कराई गई समस्त धनराशि का समायोजन भी संशोधित बीजक में करे। परिवादी संशोधित बीजक प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करे। विपक्षी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–181/2025
पंजीकरण तिथि–23.12.2025
निर्णय तिथि–16.01.2026

पनी राम परिवादी
पुत्र केशव राम
निवासी–डहरिया कालौनी
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 22.12.2025 में कहा गया है कि प्रार्थी का उक्त नाम व पते (पनी राम पुत्र केशव राम, निवासी–डहरिया कालौनी हल्द्वानी, जिला–नैनीताल) पर एक आवासीय मकान है जहां वह रिहायस करता है। प्रार्थी के नाम पर एक विद्युत कनैक्शन संख्या–3927216001260 है। जो 1 किलोवाट का है। प्रार्थी के घर में एक कमरा बाथरूम टॉयलेट आदि है। जिसमें मात्र दो बल्ब जलते हैं। तथा गर्मी में एक पंखा चलता है। महोदय प्रार्थी को हाल में ही एक अत्यधिक बिल रुपया 15171/– का दिया गया है जो गलत है। प्रार्थी ने पूर्व में रुपया 5246.00 के अतिरिक्त भुगतान भी किये है। प्रार्थी एक मजदूर गरीब व्यक्ति है जिसके विद्युत बिल का विलम्ब शुल्क भी गलत लगाया गया है प्रार्थी बिल मिलने पर पूर्व में विद्युत बिलों का सही समय पर भुगतान करते आया है। अतः निवेदन है की प्रार्थी की समस्या का न्यायसगत निराकरण कर सही विद्युत बिल उसे दिया जाये तथा पूर्व बिल को निरस्त कर उसे न्याय दिलवाया जाय। विलम्ब शुल्क भी माफ कर दिया जाय।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 13.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–392J216001260 (विद्युत भार 1.00 kw) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता के परिसर में लगा हुआ मापक सही कार्य कर रहा है। माह 07/2024 के बाद उपभोक्ता द्वारा बिल

जमा नहीं किया गया है। जिस कारण से भी धनराशि में बढ़ोतरी हो रही है। बिल हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

3. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 16.01.2026 की तिथि नियत की गयी। परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे जबकि विपक्षी उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान विपक्षी ने परिवादी की विस्तृत कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए बताया कि परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में MU के बिल भेजे गए हैं। परिवादी कभी भी समय पर बिलों का भुगतान नहीं करता है जिससे उन्हें बिल अधिक प्रतीत हो रहा है। MU के बीजकों में कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है।
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि उसे प्रत्येक बिल चक्र में वास्तविक विद्युत खपत के MU आधारित बिल भेजे गए है। जिनमें किसी की भी प्रकार का संशोधन नहीं कराया जा सकता। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—16/01/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–182 / 2025
पंजीकरण तिथिः–23.12.2025
निर्णय की तिथिः– 16.01.2026

नन्दी बो बिष्ट पत्नी राहुल बिष्ट,
टनकपुर रोड, जवाहर नगर नं0–14,
हल्द्वानी जिला–नैनीताल

परिवादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादिनी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि प्रार्थिनी टनकपुर रोड जवाहर नगर वार्ड न0 14 हल्द्वानी जिला नैनीताल की निवासी है। प्रार्थिनी के मकान में विद्युत कनैक्शन स० 386A263963236 लगा है। प्रार्थिनी का व्यवसायिक संयोजन है। जिसका पिछला बिल रू0 270/– प्रार्थिनी के द्वारा दिनांक 27/10/2025 को जमा किया गया है। उसके उपरान्त दुसरा बिल जो रू० 30,613/– का प्राप्त हुआ है। उसक उपरान्त दिनांक 29/11/2025 को इस संयोजन की एम०आर०आई० विभाग द्वारा कराई गई जिसमें विद्युत मीटर के जम्प होने का दर्शाया गया है। यानि यह बात स्पष्ट है कि प्रार्थिनी का मीटर जम्प कर गया है। उसके उपरान्त वर्तमान में एक बिल रू0 31301/––का भेजा गया है। प्रार्थिनी एक अकेली महिला है। जो कि बीमार रहती है। आय का कोई साधन नही है। प्रार्थिनी इस बिल का महोदय से निस्तारण चाहती है। जो कि बहुत अधिक भेजा गया है उसमें जांच करा ली जाय।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के विद्युत बिल में न्यायसगंत कार्यवाही की जाकर इस मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाय। ताकि प्रार्थिनी उचित समय पर अपने बिजली का बिल जमा कर सके। प्रार्थिनी महोदय की आभारी रहेगी।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांक 24.12.205 में कहा गया है कि उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर बिल माह 05/2021 से 10/2025 तक शून्य यूनिट/फिक्स चार्ज के निर्मित है एवं माह 11/2025 में (पाठ्याक 4821–1054= 3767 Unit का बिल निर्मित हुआ है। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री एवं प्रति संलग्न है।

3. परिवादिनी द्वारा दिनांकित 08.1.2026 को आपनी आपत्ति पत्र में कहा गया है कि मैं टकनपुर खे जवाहर नगर वार्ड न0 14 हल्द्वानी जिला नैनीताल में निवास करती हूं। गेरा व्यवसायिक विद्युत संयोजन स० **386A263963236** है। यह दुकान करीब 03 वर्ष पूर्व बन्द रही जिसके बीच–बीच में 00 रिडिग के बिल आते रहे। मैं बन्द गीटर के बिल बराबर जमा करती रही उसके उपरान्त दुकान मेरे द्वारा खोली गई जिसका प्रथम बिल रू0 270/– का विभाग के द्वारा भेजा गया जो कि मैंने दिनांक 27/10/2025 को जमा किया तथा उसके उपरान्त द्वितीय बिल रू0 30613/– का भेजा गया। इस बिल के बाद मेरे पास महोदय रू0 31301/– का बिल भेजा गया जिससे में संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इतना अधिक बिल नही हो सकता है। ऐसा प्रतित होता है कि मीटर जंप होने के कारण ऐसा हुआ। लिहाजा इस बिल को निरस्त किया जाये। महोदय में उचित बिल जमा करने को तैयार हूं। मैं एकेली महिला हूं तथा बीमार रहती हूं। मेरा आय का कोई साधन नही है। इसके सम्बन्ध में मैं अपना जवाब प्रस्तुत कर रही हूं। जो कि मेरे बताये द्वारा टंकित कराया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा जवाब दाखित कर उचित बिल दिये जाने की कृपा की जाय।

4. मंच द्वारा वाद की सुनवाई के लिए दिनांक 16.01.2026 की तिथि नियत की गई। जिसमें परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी की ओर से भी विभागीय अधिकारी उपस्थित हुए। परिवादी के अनुसार उसका परिसर कई वर्षों से प्रयोग में नहीं था तथा कनेक्शन भी कुछ समय से कटा हुआ था उसे जो बल मिलता था वह समय से जमा किया जा रहा था, अक्टूबर माह में परिसर प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था अतः विद्युत कनेक्शन भी सुचारु किया गया उसके पश्चात अगला बिल 31301/– का आ गया। विपक्षी की ओर से मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि एम0आर0आई0 रिपोर्ट से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता परंतु यह स्पष्ट है कि परिसर में डिमांड शून्य रही है जिससे यह माना जा सकता है कि वास्तव में परिसर बंद ही रहा है।

5- मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बिल हिस्ट्री से यह स्पष्ट होता है कि 15 अक्टूबर 2025 तक समस्त बिलों का भुगतान किया गया है। नवम्बर माह के बिल में 3767 यूनिट की खपत आने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई मीटर की एम0आर0आई0 के बाद विपक्षी ने भी माना कि यह परिवादी की खपत नहीं है तथा मीटर को ठीक नहीं माना जा सकता है। मंच द्वारा भी एम0आर0आई0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें स्पष्ट है कि 19.11.2025 को मीटर की रीडिंग 4821 मीटर में किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण दर्ज हुई है। क्योंकि विद्युत मांग शून्य आ रही है। अतः मंच के मत में परिवादी का मीटर तत्काल बदला जाना तथा 15.10.2025 से मीटर बदले जाने की तिथि तक का बीजक संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। यह संशोधन वर्तमान मीटर की रीडिंग 4821 से मीटर बदलने जाने की तिथि तक की गई खपत के आधार पर जारी किया जाना न्यायोचित एवं तर्क संगत होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का मीटर तत्काल बदला जाये तथा 15.10.2025 से मीटर बदले जाने की तिथि तक का बीजक मीटर रीडिंग 4821 तथा मीटर बदले जाने की तिथि को अंतिम रीडिंग के अंतर की खपत के अनुसार जारी करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलंब भुगतान सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>	<u>सदस्य (तकनीकी)</u>	<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद् घोषित।
दिनांकः—16.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>	<u>सदस्य (तकनीकी)</u>	<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case Number-04202512130001

Shri/Smt-Karan Singh Rautela Vs Executive Engineer-Nainital

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	14/01/2026	पत्रावली पेश हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी हो। विपक्षी दिनांक 28.01.2026 तक अपना उत्तर पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत करे।	28/01/26
	28/01/2026	पत्रावली पेश हुई। अवलोकित। उक्त वाद में परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से मंच अवगत कराया गया कि विपक्षी/विभाग द्वारा शिकायत उसकी वोल्टेज से संबंधित समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है। **आदेश** विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

अंशु बहुगुणा
(सदस्य उपभोक्ता)

विष्णु प्रसाद डोभाल
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202512200001
पंजीकरण तिथिः–14.01.2026
निर्णय की तिथिः– 29.01.2026

अकांक्षा अधिकारी,
रूपनगर, नियर बालाजी मन्दिर,
हल्द्वानी जिला–नैनीताल,

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
हल्द्वानी(ग्रामीण),

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि " I have paid my electricity bill of Rs 1540 on 20 December and the amount is deducted but confirmation message not received to me neither my bill is showing in paid status. Kindly look into the"

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कुमाऊँ क्षेत्र के पत्रांक 36 दिनांक 14/01/2026 के अनुपालन में मंच के समक्ष ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत (**Case No. 04202512200001**) के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि उपभोक्ता द्वारा रु० 1540 के बिल का भुगतान हो चुका हैं। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. परिवादी द्वारा दिनांकित 29.01.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– **"My bill amount which has been deducted from my account was not showing as received from your end now is it showing as received from your end and my problem has been resolved."**

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—29.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—29.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202512230001
पंजीकरण तिथि–14.01.2026
निर्णय तिथि–31.01.2026

अनिल कुमार अग्रवाल — परिवादी
आनन्दीपुरम
आर0के0 टेंट रोड, कुसुमखेड़ा
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि " My house metre reading is not working, i have raised complaint on 27-Oct-2025 but still no action taken place. Kindly request you to help me to resolve this issue. "
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 28.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता की खराब मापक की शिकायत संख्या–22710250129 विद्युत परीक्षण खंड में अवर अभियंता (मीटर) के स्तर पर लम्बित है इस संबंध में उनको अवगत करा दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 30.01.2026 में कहा गया है कि "Issue regarding case 04202512230001 is resolved now. Kindly request you to please close it."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी द्वारा परिवादी की िकायत का समाधान कर दिये जाने के व प क्षि दकी संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—31.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनां कितहस्ताक्ष तरि एवं उद्घोषित।

दिनांकः—31.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद सख्या–04202601080001
पंजीकरण तिथि–14.01.2026
निर्णय तिथि–28.01.2026

कमला खोलिया — परिवादी
नवज्योति नगर, हाथीखाल
बरेली रोड, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Recently the new wire had been laid by corporation and they might did the connection our house with the wrong phase. Even switching of the light button, its glow dim."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 28.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विद्युत फेज से संबंधित समस्या का समाधान करवा दिया गया है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है की वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 28.01.2026 में कहा गया है कि "यह कि मेरे निवास क्षेत्र में नई विद्युत तार स्थापित किए जाने के कारण कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हुई थी। उक्त विद्युत कनेक्शन कमला खोलिया के नाम से पंजीकृत है, जिसका कनेक्शन नंबर–391N3185030601, उक्त समस्या के समाधान हेतु मैंने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) की आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया। पोर्टल में लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड पर निम्नलिखित सेक्शन क्रमवार प्रदर्शित हो रहे थे Dashboard, View All Accounts, Postpaid Connection, Group Payment History, CGRF Grievance तथा Complaint/Request Status. उक्त सेक्शनों को देखकर मुझे यह भ्रम हो गया कि मेरी शिकायत CGRF Grievance सेक्शन में दर्ज की जानी चाहिए, जिस कारण मैंने अनजाने में वहीं शिकायत दर्ज कर दी। बाद में जब मैंने शिकायत की स्थिति देखी,

तो कोई शिकायत दर्ज दिखाई नहीं दी। पश्चात मुझे यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायत दर्ज करने का सही विकल्प Postpaid Connection > Complaint Registration के अंतर्गत उपलब्ध है। तत्पश्चात मैंने दिनांक 08 जनवरी 2026 को सही माध्यम से शिकायत दर्ज की। अगले दिन शिकायत की स्थिति जांचने पर पहले वाली शिकायत अस्वीकृत (Rejected) दर्शाई गई। इसके पश्चात मैंने दिनांक 09 जनवरी 2026 को पुनः शिकायत दर्ज की, जिसे विभाग द्वारा स्वीकार (Acknowledged) किया गया तथा संबंधित समस्या का समाधान कर दिया गया। वर्तमान में मेरी विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है तथा मुझे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या ग्रिवेंस नहीं है। अपितु मैं उनके ऑनलाइन पोर्टल की सराहना करता हूँ, जो उपभोक्ताओं को सरल एवं त्वरित सेवा प्रदान करता है। यह प्रकरण केवल तकनीकी भ्रम एवं गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुआ था, जिसका अब पूर्ण रूप से निस्तारण हो चुका है। अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाद संख्या–04202601080001 को समाप्त करने की कृपा करें।"

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:–28.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:–28.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202601080002
पंजीकरण तिथिः–14.01.2026
निर्णय की तिथिः– 28.01.2026

पवन कुमार जोशी,
पीलीकोठी श्यामा गार्डन वेस्ट,
हल्द्वानी जिला–नैनीताल, परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
हल्द्वानी(ग्रामीण), विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि "I have not received the money of the negative bill as told earlier that i will get it by December 2025"

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विधुत संयोजन संख्या–**392KS01123133** (**2.00 KW**) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुवा की उपभोक्ता को के परिसर में दिनांक 17/01/2025 को सोलर मापक लगाया गया है। उपभोक्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में बताया गया है की उन्हें सोलर की धनराशी प्राप्त नहीं हो पाई है। महोदय आपके संज्ञान में लाना है की **Rs.** 4579.00 को धन मांग हेतु मुख्यालय प्रेषित किया गया है। सोलर मापक की वापस होने वाली धनराशी की कार्यालय स्तर पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। अतिशीघ्र ही उपभोक्ता के बैंक खाते मैं उपरोक्त धनराशी को निर्गत कर दिया जायेगा।

3. परिवादी द्वारा दिनांकित 28.01.2026 को अपनी संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि–
" Dear sir Thanks I am satisfied with the action Please close this case now ."

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का निवारण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा भी ईमेल दिनांकित 28.01.2026 के माध्यम से वाद को बंद करने हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का निस्तारण हो जाने के बाद वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–28.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।
दिनांकः–28.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (न्यायिक</u>

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case Number-04202601140001

Shri/Smt-Kuber Singh Mehra Vs Executive Engineer-HLD(Rular)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	14/01/26	पत्रावली पेश हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी हो। विपक्षी दिनांक 28.01.2026 तक अपना उत्तर पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत करे।	28/01/26
	30/01/2026	**आदेश** पत्रावली प्रस्तुत। यह शिकायत यू०पी०सी०एल० पोर्टल के माध्यम से प्राप्त/दर्ज हुई। शिकायत अस्पष्ट होने पर शिकायतकर्ता के मोबाईल नंबर पर मंच कार्यालय द्वारा संपर्क किया गया तो उपभोक्ता ने बताया कि Online portal पर उसने गलती से CGRF वाले सेक्शन में मीटर बिल लिख दिया था। मेरी कोई शिकायत नहीं है अतः परिवादी की गलतफहमी और वाद वापस करने के निवेदन पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

हिमांशु बहुगुणा
(सदस्य उपभोक्ता)

विष्णु प्रसाद डोभाल
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–042026011080001
पंजीकरण तिथि:–19.01.2026
निर्णय की तिथि:– 29.01.2026

पायल ढाका पत्नी डा0 शिवेंद्र ढाका,
ग्राम–पीपलसाना,
रामनगर जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
रामनगर,

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि "My meter is not working, I had earlier complained to replace it. But it is not changed yet. I have received erroneous bill in NA category. Please rectify it"

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के विद्युत संयोजन/खाता संख्या 40110444399 का खराब मापक को दिनांक 24.01.2026 को बदल कर नया मापक स्थापित कर शिकायत/ समस्या का समाधान कर दिया गया हैं।
3. परिवादी द्वारा दिनांकित 29.01.2026 को अपनी संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– **"I had complained for the change of my nonfunctional meter to the electricity department. My faulty meter has been changed by the department and my problem is resolved satisfactorily."**

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का निवारण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा भी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से दिनांकित 29.01.2026 को अवगत कराया गया कि उसकी मीटरिंग से संबंधित शिकायत का विपक्षी/विभाग द्वारा निस्तारण

कर दिया गया है। परिवादी ने अपनी संतुष्टि भी मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–29.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–29.01.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)